Policy to Protect the Artisans

***58. Dr.ABHE SINGH YADAV (Nangal Chaudhry), M.L.A.**

Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:-

a) Whether there is any proposal under consideration of the Government for damage compensation to the poor artisans by way of monetary compensation for the damage caused to their products due to natural calamities on the lines of compensation to the farmers getting crop compensation;

b) whether any policy in regard to 'a' above would be framed by the Government to protect the artisans like pot makers and other similar artisans; and

c) if so, the time by which the abovesaid policy is likely to be framed and implemented in the State ?

SH. DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER, HARYANA

a,) Sir, the State Government has provided norms for monetary compensation for the replacement of damaged main functional tools/equipments and loss of raw materials/goods in process/finished goods due to natural calamities. Items and norms for assistance to artisans are as follows:-

Handicrafts/Handloom- Assistance to Artisans

(a)	For replacement of damaged main functional tools/equipments	Rs. 5,000/- per artisan for equipments, subject to certification by the competent authority designated by the Govt. about damage and its replacement.
(b)	For loss of raw material/goods in process/finished goods	Rs. 5,000/- per artisan for raw material, subject to certification by the competent authority designated by the State Govt. about loss and its replacement.

b&c) The questions does not arise in view of (a) above.

कारीगरों को सुरक्षित करने की नीति

*58 डा0. अभय सिंह यादव (नांगल चैधरी):

क्या उप मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे किः-

(क) क्या किसानों को मिल रहे फसल मुआवजे की तर्ज पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण गरीब कारीगरों को उनके उत्पादों के हुए नुकसान के लिए नुकसान मुआवजे के रूप मे आर्थिक मुआवजा दिए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

(ख) क्या ऊपर (क) के संबंध में कारीगरों जैसे बर्तन बनाने वाले तथा उनके समान अन्य कारीगरों को सुरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई जाएगी तथा

(ग) यदि हां, तो राज्य में उपरोक्त नीति के कब तक बनाए जाने तथा लागू किए जाने की संभावना है?

श्री दुष्यंत चौटाला, उप-मुख्यमंत्री, हरियाणा

क) श्रीमान जी, राज्य सरकार द्वारा प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हुए मुख्य कार्यात्मक औजारों/उपकरणों के प्रतिस्थापन हेतू तथा कच्चे माल/प्रक्रिया अधीन माल/तैयार माल की हानि के लिए मौद्रिक मुआवजे के मानदंड प्रदान किए गये है। कारीगरों की सहायता के लिए मद एवं मानदंड निम्न प्रकार से हैः-

हस्तशिल्प] हथकरघा शिल्पकारों की सहायता		
1-	क्षतिग्रस्त मुख्य कार्यात्मक औजारों/उपकरणों को बदलने हेतू	उपकरणों के लिए प्रति शिल्पकार 5000/- रूपये, सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध मे नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।
2-	सामान तैयार होने के दौरान कच्चे माल/प्रक्रिया अधीन माल/तैयार माल की हानि के लिए	कच्चे माल के लिए प्रति शिल्पकार **5000/-** रूपये सरकार द्वारा क्षति और इसकी भरपाई के संबंध मे नामित सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन के अध्यधीन।

ख व ग) उपरोक्त 'क' के दृष्टिगत प्रश्न ही नही उठता ।